



2026:AHC:39197-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं - 2028/2026

ऋषि श्रीवास्तव

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : पियूष केशरवानी, सर्वेश कुमार दुबे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जी. ए.

न्यायालय क्रमांक - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. सर्वप्रथम, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायाधीश पीठ के समक्ष यह कथन दिया कि वह इस रिट याचिका पर प्रेस नहीं करना चाहता है तथा इसे वापस लेने की इच्छा रखता है।
3. दिए गए कथन के परिप्रेक्ष्य में, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के रूप में खारिज की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



20 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”